शासकीय उचित मूल्य के दुकान में अधिक दर पर शक्कर बेचने वाले संचालकों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। ग्राम मनौद के शासकीय उचित मूल्य के दुकान में अधिक दर पर शक्कर बेचने वाले दुकान संचालकों के विरूद्ध प्राथमिक रिपोर्ट दर्ज किया गया है।

बालोद जिले की कलेक्टर श्रीमती रानू साहू को बालोद विकासखण्ड के ग्राम मनौद के शासकीय उचित मूल्य की दुकान में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय शक्कर को शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक दर पर विक्रय किए जाने की शिकायत मिलने पर उन्होंने इसे तत्काल संज्ञान में लिया और खाद्य विभाग के अधिकारियों को जॉच के निर्देश दिए। खाद्य अधिकारी श्री विजय किरण ने बताया कि कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य निरीक्षक बालोद द्वारा मौके पर जाकर जॉच किया गया।

खाद्य अधिकारी ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य दुकान मनौद का संचालन जागृति महिला स्व सहायता समूह मनौद के विक्रेता श्री यशवंत साहू के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रदाय शक्कर का विक्रय शासन द्वारा निर्धारित दर से अधिक कीमत पर किया जा रहा था। खाद्य निरीक्षक द्वारा 01 अप्रैल 2020 को मौके पर उपस्थित

होकर जॉच किया गया। खाद्य निरीक्षक के जॉच प्रतिवेदन अनुसार विक्रेता द्वारा उक्त दुकान में संलग्न हितग्राहियों में से 184 हितग्राहियों को शक्कर का निर्धारित दर 17 रूपए प्रति किलोग्राम से अधिक दर 20 रूपए प्रति किलोग्राम की दर से विक्रय किया जाना पाया गया एवं राशन सामग्री वितरण करते समय हितग्राहियों से बारदाना का 20 रूपए प्रति बोरा की दर से अतिरिक्त राशि लिया जाना पाया गया। जो कि छ.ग. सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 की कंडिका 5(14), 5(24),11(11) एवं 15 का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने बताया कि उपरोक्त अनियमितता की पुष्टि के फलस्वरूप अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) बालोद द्वारा उक्त दुकान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर उक्त दुकान के समस्त राशन कार्डधारियों को समीपस्थ उचित मूल्य दुकान में संलग्न कर निर्बाध रूप से नियमानुसार खाद्यान्न वितरण किए जाने आदेश जारी किया गया। खाद्य अधिकारी ने बताया कि शासकीय उचित मूल्य की दुकान मनौद के संचालनकर्ता एजेंसी द्वारा उपरोक्त अनियमितता किए जाने के कारण खाद्य निरीक्षक बालोद द्वारा दुकान संचालकों के विरूद्ध पुलिस थाना बालोद में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराया गया।

महत्वपूर्ण एवं खास

फर्जी आईडी बनाकर युवती को दे रहा मानसिक प्रताड़ना, मामला दर्ज

रायपुर (आरएनएस)। सोशल मीडिया पर आये दिन युवतियों का फर्जी आईडी बनाकर मानसिक प्रताड़ना देने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। कहीं कहीं तो लड़कियों को फेसबुक में डाली गई फर्जी जानकारी के आधार पर ब्लेकमेल करने /वायरल करने की धमकियां भी दी जाती है। सिविल लाइन थाने से प्राप्त जानकारी के अनुसार लोधी पारा निवासी 24 वर्षीय युवती को अज्ञात मोबाइल धारक द्वारा फेसबुक पर फर्जी आईडी बनाकर इंस्टाग्राम बनाकर फोन अपलोड कर बिना प्रार्थियां की अनुमति के मानसिक प्रताड़ना दी गई। उक्त मामले में सिविल लाइन थाने में आईपीसी की धारा 509 के तहत मामला कायम कर पतासाजी शुरू कर दी है।

युवती से अकारण गालीगलौज कर जमकर की पिटाई

रायपुर (आरएनएस)। धरसींवा थाने से मिली जानकारी के अनुसार कुमारी संध्या शिवारे आयु 19 वर्ष पिता उत्तम शिवारे निवासी ग्राम धनेली धरसींवा आरोपी साबिर खान पिता गफ्फार खान निवासी धनेली ने रास्ता रोककर अनावश्यक गालीगलौज करते हुए उसकी जमकर पिटाई की। उक्त मामले धरसींवा थाने ने आरोपी के खिलाफ आईपीसी की धारा 294, 323 के तहत मामला दर्ज किया है।

नक्सल ऑपरेशन की पूरी कमान अशोक जुनेजा के पास

रायपुर (आरएनएस)। राज्य सरकार ने नक्सल मोर्चे पर नया कमांडर तैनात किया है। ज्ञात हो कि एडीजी अशोक जुनेजा को नक्सल ऑपरेशन के साथ ही विशेष खुफिया शाखा 'एसआइबी' का प्रभार भी सौंपा गया है। अशोक जुनेजा को नक्सल अभियान के अलावा कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी नहीं दी गई है। गिरधारी नायक की सेवानिवृत्ति के बाद से डीजीपी डीएम अवस्थी ही नक्सल ऑपरेशन की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। सूत्रों की माने तो गिरधारी नायक के सेवानिवृत होने के बाद से नक्सल मोर्चे पर फुल टाइम अधिकारी की नियुक्ति को लेकर विचार चल रहा था। चुनाव सहित अन्य कारणों से मामला लगातार नियुक्ति टाला जा रहा था। मार्च माह में सुकमा में हुए बड़े नक्सली वारदात की समीक्षा के दौरान दोबारा नियुक्ति का मुद्दा उठा था। जिसके बाद केंद्रीय गृहमंत्रालय ने राज्य सरकार से इसे गंभीरता से लेने का आग्रह किया था।

लॉक डाउन में सख्ती बरतने कलेक्टर एसपी घूम रहे सड़कों पर

» बेवजह घूमने वालों को पुलिसवालों ने भेजा घर

रायपुर (आरएनएस)। कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने लॉकडाउन का शहर और उसके आसपास क्षेत्रों में कितना पालन हो रहा है, इसे देखने के लिए कलेक्टर और एसएसपी रोजाना सड़कों पर निकल रहे है। इस दौरान लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों पर कड़ाई बरतने के निर्देश अधिकारियों को दिए गए है। बीते दिन कलेक्टर डॉ.एस भारतीदासन व एसएसपी आरिफशेख ने पुलिस व प्रशासन के अधिकारियों के साथ तेलीबांधा, सिविल लाइन, लाभांडी और राजेंद्रनगर पुलिस थाना क्षेत्र का निरीक्षण किया। एसएसपी ने अफसरों को गली-मोहल्लों के अलावा मुख्य सड़कों पर बेवजह घूमने वालों पर कार्रवाई करने को कहा है। लॉकडाउन में पुलिस की ढ़िलाई का फायदा उठाकर दोपहिया व चार पहिया वाहनों से लोग बेवजह सड़क पर घूमने से बाज नहीं आ रहे है। हालांकि चौक-चौराहों पर बेरीकेट्स लगाकर पुलिस के जवान आने-जाने वालों को रोककर पूछताछ करने के बाद जरूरी होने पर ही जाने दे रहे है।बुधवार दोपहर दो से तीन बजे के बीच संतोषीनगर ओवरब्रिज,टिकरापारा, कालीबाड़ी चौक, कोतवाली चौक, जय स्तंभ चौक,शास्त्री चौक पर तैनात पुलिसकर्मियों ने सड़क पर घूमने वालों पर सख्ती दिखाई।

मनरेगा कार्यों के लिए 97.90 करोड़ जारी

रायपुर (आरएनएस)। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री टी.एस. सिंहदेव के निर्देश पर विभाग द्वारा मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना) कार्यों के लिए 97 करोड़ 90 लाख 20 हजार रूपए जारी किए गए हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 में मनरेगा के अंतर्गत हुए निर्माण कार्यों के भुगतान के लिए यह राशि जारी की गई है। विभाग द्वारा किए जाने वाले इस तत्काल भुगतान से कोविड-19 के नियंत्रण के लिए किए गए लॉक-डाउन अवधि में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।

» पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने की घोषणा

भारतीय इस्पात उद्योग, प्रधानमंत्री केयर्स फंड में 500 करोड़ का देगा योगदान

रायपुर (आरएनएस)। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस तथा इस्पात मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कोविड-19 महामारी के खतरे के खिलाफलड़ाई के मद्देनजर पीएम केयर्स फंड में भारतीय इस्पात उद्योग द्वारा 500 करोड़ रुपये से अधिक का योगदान करने की घोषणा की।

केन्द्रीय मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान ने ट्वीट के माध्यम से कहा कि मैं अत्यंत हर्ष और गर्व के साथ घोषणा करता हूँ कि सार्वजनिक क्षेत्र के इस्पात उद्योगों और निजी क्षेत्र के इस्पात उद्योगों द्वारा पीएम केयर्स फंड में रुपये 500 करोड़ से अधिक का योगदान दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र के हमारे कार्मिकों व अधिकारियों द्वारा भी पीएम केयर्स फंड में रुपये 15 करोड़ का योगदान दिया जायेगा।

उन्होंने कहा कि देश के जरूरत के समय, देश की रक्षा के लिए इस्पात बिरादरी ने जो सहयोग व समर्थन दिया है वह प्रशंसनीय है। मैं उनकी इस भूमिका से बेहद प्रभावित हूँ।

गृहणियों को मिली राहत, रसोई गैस के 66 रूपए दाम घटे

रायपुर (आरएनएस)। महंगाई के चलते गत कुछ महीनों से रसोई गैस के दामों में प्रति रिफील सिलेंडर की वृद्धि देखी गई किंतु लॉक डाउन की अवधि में ऑयल मार्केटिंग कंपनियों द्वारा गृह स्वामिनी के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए प्रति सिलेंडर 66 रूपए दाम घटाए गए हैं। उक्त सिलेंडर की रिफील बिना सब्सिडी वाले सिलेंडरों में 66 रूपए की कमी की गई है। राजधानी में 14.2 किलोग्राम वाले बिना सब्सिडी वाले एलपीजी सिलेंडर की वर्तमान कीमत 881 रूपए से घटना कर 815 रूपए हो गई है। वहीं व्यवसायिक उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले 19 किलो के सिलेंडर अब 1426 रूपए में मिलेंगे। भारत के चार महानगरों के मुकाबले रायपुर में गैस सिलेंडर महंगा है। वहीं दिल्ली में 14.2 किलो वाले बिना सब्सिडी के गैस सिलेंडर 744 रूपए, कोलकाता में 744.50 रूपए, मुंबई 714.50 रूपए एवं चेन्नई में 761.50 रूपए की दर पर उपभोक्ताओं को आपूर्ति किए जा रहे हैं।

नरेन्द्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कोरोना बचाव के लिए ली जानकारी

रायपुर। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने आज सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस कर कोरोना से बचाव के लिए लागू लॉक डाउन के संबंध में जानकारी ली।

मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल भी कान्फ्रेंस में शामिल हुए। उन्होंने छत्तीसगढ़ में कोरोना के बचाव और नियंत्रण की ताजा स्थिति और लॉक डाउन के दौरान आम जनता और जरूरतमंद लोगों को राहत देने के उपायों की विस्तृत जानकारी दी। मुख्य सचिव श्री आर.पी. मंडल, पुलिस महानिदेशक श्री डी. एम. अवस्थी, अपर मुख्य सचिव श्री सुब्रत साहू, स्वास्थ्य विभाग की सचिव श्रीमती निहारिका बारिक सिंह इस अवसर पर उपस्थित थीं।

लॉकडाउनः 14 हजार भिखारियों, निराश्रित, और जरूरतमंद व्यक्तियों को मिला निःशुल्क भोजन

रायपुर। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान कोई व्यक्ति भूखा न रहे इसके लिए राज्य सरकार ने व्यापक प्रबंध किए हैं। सभी जिलों में भिखारियों, निराश्रित और जरूरतमंद व्यक्तियों का चिन्हांकन कर उन्हें गर्म भोजन तथा सूखा राशन प्रदान किया जा रहा है। समाज कल्याण विभाग द्वारा 14 हजार 608 निराश्रित, भिक्षुक, तृतीय लिंग समुदाय और जरूरतमंद व्यक्तियों का चिन्हान्कन किया गया है। मानव सेवा के इस काम में विभाग के साथ जिला प्रशासन, पुलिस साहित विभिन्न समाजसेवी संस्थाएं भी लगी हुई है। जरूरतमंदों तक भोजन पहुंचाने की राज्य स्तर पर निरन्तर ऑनलाईन मॉनिटरिंग की जा रही है।

भोजन के सुरक्षित वितरण के लिए विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। संस्थाओं को जिला प्रशासन एवं विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने कहा गया है। रायपुर संभाग में 4 हजार 813, दुर्ग संभाग में 5 हजार 913, बिलासपुर संभाग में एक हजार 532, बस्तर संभाग में 6

सौ और सरगुजा संभाग में एक हजार 750 जरूरतमंद व्यक्तियों का चिन्हांकन कर भोजन प्रदान किया जा रहा है। इन व्यक्तियों को रेल्वे स्टेशन, बस स्टेंट, नगर पालिक निगम,

चौक-चैराहों, रैन बसेरा, सामुदायिक भवन, मंदिर क्षेत्र, सब्जी बाजार, जनपद पंचायत जैसे स्थानों से चिन्हांकित कर भोजन दिया जा रहा है। जहां अधिक संख्या में बेसहारा और निराश्रित लोगों के मिलने की संभावना रहती है। इसके अतिरिक्त जरूरतमंद व्यक्तियों को घर-घर पहुंचकर भी भोजन उपलब्ध कराया जा रहा है।

शहर के पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सेनेटाइजयुक्त घर पहुंच सब्जी वाहन सेवा की शुरूआत

रायपुर (आरएनएस)। लॉकडाउन के दौरान रायपुर पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के लोगों को ना केवल कोरोना वायरस से सुरक्षित रखने बल्कि घर बैठे वाजिब दामों पर सब्जियां उपलब्ध कराने के लिए विधायक विकास उपाध्याय ने सेनेटाइज युक्त घर पहुंच सब्जी वाहन सेवा की शुरूआत की है। सेनेटाइजयुक्त सब्जी वाहन सुविधा आज क्षेत्र के एकता नगर, जनता कालोनी, बम्लेश्वरी नगर,मुर्राभट्ठी,विकास नगर, कोटा कालोनी,टीचर्स कालोनी, भवानी नगर, गुढ़ियारी, पड़ाव, साहू पारा, मंगल बाजार,समता कालोनी, चोबे कालोनी, अग्रसेन चौक,खमतराई, शिवानंद नगर, श्रीनगर, दीनदयाल उपाध्याय नगर, गोल चौक, टाटीबंध, हीरापुर एवं समस्त वार्ड व मोहल्ले में घर-घर पहुचें और उनके जरूरत के अनुसार वाजिम दामों पर उपलब्ध कराये गये। उपाध्याय ने कहा कि कोरोना वायरस जैसे महामारी बीमारी के बावजूद लॉकडाउन के दौरान आम जनों को सब्जी भाजी खरीदने के लिए घरों से बाहर निकलना पड़ रहा था।

कोरोना संकट लॉकडाउन के लिए छत्तीसगढ़ कर्मचरियों के वेतन से नहीं होगी कटौती

» कई राज्य सरकारों ने कर्मचारियों के वेतन से कोरोना संकट के लिए अनिवार्य कटौती के आदेश किए हैं जारी

» मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दिया निर्देश

रायपुर (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के दौरान छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन से किसी प्रकार की कटौती नहीं करने का निर्णय लिया है। कोविड-19 के संक्रमण से निपटने के लिए राज्य सरकार द्वारा व्यापक प्रयास और इंतजाम किए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री बघेल ने कहा है कि राज्य शासन के अधिकारी-कर्मचारी स्वेच्छा से संकट की इस घड़ी में मुख्यमंत्री सहायता कोष में अपना आर्थिक योगदान कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य के सभी निजी औद्योगिक और व्यापारिक संस्थानों से भी यह कहा है कि वे लॉकडाउन के दौरान अपने कर्मियों का वेतन नहीं काटे। यदि कोई कर्मचारी स्वेच्छा से आर्थिक योगदान करना चाहे तो कर सकता है। उल्लेखनीय है कि देश के कतिपय राज्यों में वहां की सरकार

ने कोरोना संकट और लॉकडाउन के लिए कर्मचारियों के वेतन से एक माह तक के वेतन और रैंकवार अनिवार्य कटौती के आदेश जारी किए हैं वहीं छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है इसके लिए राज्य सरकार के अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन से किसी भी प्रकार की कटौती नहीं होगी।

मुख्यमंत्री सहायता कोषः विधायक श्री उपाध्याय के माध्यम से तीन व्यक्ति और संस्थाओं ने सौपा 11.72 लाख का चेक

रायपुर। मुख्यमंत्री सहायता कोष में राजधानी रायपुर के अंतर्गत तीन व्यक्ति और संस्थाओं द्वारा आज विधानसभा क्षेत्र रायपुर पश्चिम के विधायक श्री विकास उपाध्याय के माध्यम से कोरोना संक्रमण की रोकथाम और जरूरतमंदों की मदद के लिए 11 लाख 72 हजार रूपए की सहयोग राशि प्रदान की गई है। यह राशि राज्य शासन द्वारा जारी राहत तथा बचाव कार्य में उक्त व्यक्ति और संस्थाओं द्वारा अपना अमूल्य सहयोग देते हुए प्रदान की गई है। इनमें पंकज इस्पात लिमिटेड, रायपुर द्वारा 11 लाख रूपए, छत्तीसगढ़ प्रांतीय अखण्ड ब्राम्हण समाज द्वारा 51 हजार रूपए और रायपुर निवासी श्री विनय जैन द्वारा 21 हजार रूपए की

सहायता राशि शामिल है। इस तरह तीनों व्यक्ति तथा संस्थाओं द्वारा 11 लाख 72 हजार रूपए की राशि का चेक विधायक श्री विकास उपाध्याय से मुलाकात कर मुख्यमंत्री सहातया कोष के नाम से सौपा गया। इस अवसर पर विधायक श्री उपाध्याय ने तीनों व्यक्ति और संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मानव जीवन पर आए संकट के इस घड़ी में इनका कार्य और सहयोग सराहनीय है।

धमतरी पुलिस लॉक डाउन के दौरान जरूरतमंदों को कर रही दैनिक सामग्री का वितरण

धमतरी (आरएनएस)। कोरोना वायरस के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु लॉक डाउन की विकट परिस्थिति में पुलिस अधीक्षक बी.पी. राजभानु के निर्देशानुसार एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मनीषा ठाकुर रावटे के मार्गदर्शन में धमतरी पुलिस लगातार सतत निगरानी करते हुए आम नागरिकों को प्रशासन द्वारा जारी आदेशों का पालन कर सहयोग करने हिदायत दिया जा रहा है, साथ ही गरीब मजदूर व्यक्तियों की आवश्यकताओं के मद्देनजर उन्हें सहयोग भी किया जा रहा है। इसी परिपेक्ष में उप

पुलिस अधीक्षक अजाक सारिका वैद्य के नेतृत्व में सूबेदार रेवती वर्मा अपने अन्य पुलिस स्टाफ के साथ दिनांक 01/04/2020 को महिमा सागर वार्ड टिकरापारा वार्ड एवं ब्राह्मण पारा वार्ड के गरीब मजदूर परिवारों को अनाज दाल-चावल, नमक, तेल जैसे दैनिक आवश्यक राशन सामग्री व हाथ धोने हेतु साबुन देते हुए उन्हें साफ सफाई रखने व कोरोना संक्रमण से बचाव जानकारी देकर सुरक्षा उपाय के बारे में बताया गया।

इस प्रकार पुलिस अधीक्षक के निर्देशन एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन में धमतरी पुलिस के द्वारा लगातार अपने कर्तव्य पालन के साथ-साथ मानवता का परिचय देते हुए जरूरतमंद लोगों की सहायता भी कर रही है, जिसकी आम जनता के द्वारा सराहना की जा रही है।

SJU - Contact No. +91 9301915303
E-mail ID- sjunion29@gmail.com
Social Justice Union
Registered with Govt. No. 5526
Join SJU
अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता
इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईजर श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी शुक्ल्ले एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे निश्चित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां
मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता फैल करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियाँ की जावेंगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु
प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें
संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु
- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक रीति के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन् तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहयता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र
:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।
Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU